समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक नियमावली

1. परिभाषाएं

इन नियमों के उद्देश्य के लिये निम्नलिखित शब्दों का अर्थ निम्न प्रकार से समझा जाना चाहिए :

1.1 ''प्राधिकरण'' (ऑथरिटी) का अर्थ न्यूज ब्राडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (''एनबीडीए'') का समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण होगा।

1.2 ''प्रसारण'' (ब्रॉडकास्ट) का अर्थ कोई भी ऐसा कार्यक्रम, फिल्म, फीचर, समाचार सामग्री, समाचार रिपोर्ट अथवा कोई भी अन्य सामग्री है, जिसका प्रसारण अथवा पुनः प्रसारण प्रदर्शन के उद्देश्य से किया जाता है और इसमें कार्टून, पिक्चर, छायाचित्र, टिकर अथवा विज्ञापन शामिल हैं जिसका कोई प्रसारणकर्ता प्रसारण अथवा पुनः प्रसारण करता है।

1.3 ''प्रसारणकर्ता'' (ब्रॉडकास्टर) का अर्थ व्यक्तियों का ऐसा समूह अथवा संस्था या कॉर्पोरेट निकाय है, जो किसी ऐसे उपग्रह अथवा केबल टेलीविजन चैनल का मालिकान हकदार होता है, उसका प्रबंधन करता है और/अथवा उस पर नियंत्रण करता है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ समाचार अथवा समसामयिक विषयों पर आधारित सामग्रियों अथवा उसके कार्यक्रम (प्रोग्रामिंग) के हिस्से के तौर पर समाचार या समसामयिक घटनाओं पर आधारित कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है और प्रसारणकर्ता शब्द में संपादक को भी सम्मिलत किया हुआ माना जाना चाहिये।

इसमें यह शर्त जुड़ी है कि व्यक्तियों के समूह अथवा संस्था अथवा कारपोरेट निकाय को केवल इन्हीं नियमों का पालन करने के लिए प्रसारणकर्ता नहीं माना जा सकता, अगर वह समूह अथवा संस्था अथवा निकाय एनबीडीए का सदस्य अथवा सहयोगी (एसोसिएट) सदस्य नहीं है।

1.4 ''नीति संहिता'' (कोड ऑफ कंडक्ट) का अर्थ प्रसारणकर्ताओं और टेलीविजन पत्रकारों के लिए नियमों की संहिता एवं प्रसारण मानक है, जिन्हें एनबीडीए ने तैयार किया है।

1.5 ''शिकायतकर्ता'' (कंप्लेनैंट) का अर्थ व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अथवा संस्था अथवा कॉर्पोरेट निकाय है, जो किसी प्रसारणकर्ता के बारे में प्राधिकरण के सामने शिकायत रखता है। यह शिकायत किसी ऐसे विषय के बारे में हो सकती है, उससे जुडी हो सकती है और/अथवा उसके कारण उपजी हो सकती है, जिसे स्वीकार करने, जांच करने और इन नियमों के तहत निर्णय करने का अधिकार प्राधिकरण के पास है।

1.6 ''एनबीडीए '' का अर्थ न्यूज ब्राडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन है।

1.7 ''न्यूज एजेंसी'' का अर्थ ऐसा कोई संगठन है, जिसे एजेंसी अथवा समिति के तौर पर परिभाषित किया अथवा नहीं किया गया है और जो समाचार एकत्र करता है, तैयार करता है और/अथवा समाचार और/अथवा समसामयिक विषयों पर दूसरी सूचनाओं को प्रसारणकर्ताओं के पास प्रेषित करता है।

1.8 ''टेलीविजन पत्रकार'' का अर्थ संपादक, निर्माता, एंकर और/अथवा किसी भी नाम से पुकारा जाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जो प्रसारण की जाने वाली सामग्री को मंजूरी देने के लिए जिम्मेवार है। ये सभी लोग इस दायरे में शामिल होंगे और अंशकालिक संवाददाता अथवा स्ट्रिंगर भी इसमें शामिल किए जाएंगे।

1.9 इन सभी नियमों में ''वह'', ''उसे'' अथवा ''उसका'' शब्दों का उल्लेख चाहे किसी भी स्थान पर किया जाए, उनमें महिलावाचक शब्द स्वतः ही शामिल होंगे और एकवचन को ही संबंधित मामलों में बहुवचन भी माना जाएगा।

2. समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण की संरचना

2.1 प्राधिकरण में एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) शामिल होंगे, जो प्रख्यात न्यायविद होंगे और उनके साथ आठ अन्य सदस्य भी होंगे, जिन्हें एनबीडीए के बोर्ड द्वारा बहुमत के निर्णय से नामांकित किया जाएगा।

2.2 प्राधिकरण के सदस्यो में चार सदस्य किसी प्रसारणकर्ता के पास सेवारत संपादक होंगे तथा चार सदस्य वे होंगे जो कि कानून, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, साहित्य, जन प्रशासन, उपभोक्ता मामलों, पर्यावरण, मानव मनोविज्ञान और/अथवा संस्कृति के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और/अथवा व्यावहारिक अनुभव रखते हों।

इसमें यह शर्त भी जुड़ी है कि प्राधिकरण का सदस्य बनने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे विवाद से संबंधित न्यायिक कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकता, जिसमें उस व्यक्ति की प्रत्यक्ष संलग्नता हो अथवा व्यावसायिक हित हों अथवा जिसमें वह सदस्य किसी प्रसारणकर्ता के एजेंट अथवा प्रतिनिधि के रूप में जुड़ा हुआ हो।

3. अध्यक्ष अथवा चेयरपर्सन अथवा सदस्यों का कार्यकाल

3.1 अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और स्वतंत्र सदस्यों के कार्यकाल की अवधि 3 (तीन) वर्ष और संपादक सदस्यों के कार्यकाल की अवधि 2 (दो) वर्ष होगी।

इसमें शर्त यह है कि अध्यक्ष (चेयरपर्सन) कार्यकाल पूरा होने के बाद भी एनबीडीए के नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के मुताबिक प्राधिकरण के पुनर्गठन होने तक अथवा छह महीनों तक जो अवधि पहले पूरी हो जाती है, तक अपने पद पर बने रह सकते हैं।

इसमें शर्त यह है कि यदि प्राधिकरण के सदस्य के तौर पर नामांकित व्यक्ति पर किसी गंभीर आपराधिक कृत्य के संबंध में आरोप तय कर दिए जाते हैं अथवा उसे प्राधिकरण के सदस्य के तौर पर काम करने में अक्षम पाया जाता है, तो एनबीडीए अपने बोर्ड के निर्णय के जरिये ऐसे व्यक्ति को सदस्य पद से हटा सकता है और उसके बाद से वह व्यक्ति प्राधिकरण के सदस्य पद पर काम करना बंद कर देगा।

3.2 किसी प्रसारणकर्ता के पास रोजगार पाने वाले संपादक/निर्माता के तौर पर प्राधिकरण का सदस्य बनने वाला व्यक्ति इस पद से हटा दिया जाएगा यदि वह उस प्रसारणकर्ता के पास संपादक/निर्माता के तौर पर काम करना बंद कर देता है, और संबंधित प्रसारक के पास यह विकल्प होगा कि वह 15 दिन के भीतर उस सदस्य के शेष कार्यकाल के लिये किसी वैकल्पिक संपादक को उसकी जगह पर नियुक्त करे और ऐसा नहीं होने पर इस रिक्तता को नीचे दी गयी धारा 3.5 में निधार्रित की गयी प्रक्रिया के अनुसार भरा जायेगा।

3.3 सदस्य को अपना पद उस समय छोड़ना पड़ेगा यदि अध्यक्ष (चेयरपर्सन) के विचार से वह बिना किसी पर्याप्त और संतोषजनक कारण के प्राधिकरण की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहा हो।

3.4 अध्यक्ष (चेयरपर्सन) एनबीडीए को लिखित सूचना देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और कोई अन्य सदस्य अध्यक्ष (चेयरपर्सन) को लिखित सूचना देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और यदि ऐसे इस्तीफे को एनबीडीए अथवा अध्यक्ष (चेयरपर्सन) द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो अध्यक्ष (चेयरपर्सन) अथवा सदस्य को अपना पद छोड़ना होगा।

3.5 इस प्रकार के इस्तीफों से खाली हुए पदों को जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी उसी प्रकार से नामांकन के जरिये भरा जाएगा, जिस प्रकार से इस्तीफा देने वाले सदस्य को नामांकित किया गया था और इस प्रकार नामित हुआ सदस्य उतनी अवधि तक ही पद पर काम करेगा, जितनी अवधि का कार्यकाल उस सदस्य का बचा था, जिसने इस्तीफा दिया है।

3.6 ऐसा सदस्य जो सेवानिवृत्त हो रहा है अथवा ऊपर दिए गए कारणों से (इनमें प्राधिकरण की ओर से उपरोक्त नियमों के तहत सदस्य के खिलाफ चेतावनी जारी किया जाना, दंडित किया जाना, सेंसर, नामंजूरी, प्रतिबंध और/अथवा जुर्माना लगाया जाना शामिल नहीं है अथवा उसे प्राधिकरण द्वारा ही पद से नहीं हटाया जा रहा है) जिसकी सदस्यता खत्म हो रही है, उसे एक से अधिक कार्यकालों के लिए फिर नामित नहीं किया जा सकता।

4. चेयरपर्सन और सदस्यों की सेवा की शर्तें

प्राधिकरण की बैठकों में आने के लिए अध्यक्ष (चेयरपर्सन) को वह राशि और अन्य सदस्यों को वह भत्ते और/अथवा शुल्क दिए जाएंगे, जिनका फैसला एनबीडीए अपने आम सभा की बैठक में समय–समय पर करेगा।

5. प्राधिकरण की बैठकें

5.1 प्राधिकरण कम से कम दो माह में कम से कम एक बैठक करेगा, जिसके समय और दिल्ली/नई दिल्ली में बैठक स्थल के बारे में अध्यक्ष (चेयरपर्सन) कम से कम 7 दिन पहले सदस्यों को लिखित तौर पर सूचित करेंगे और इस बैठक में कार्यवाही से संबंधित उन सभी नियमों का पालन किया जाएगा, जिन्हें प्राधिकरण ने तय किया है।

5.2 ऐसी बैठकों का कोरम अध्यक्ष (चेयरपर्सन) सहित कम से कम 4 (चार) सदस्यों की उपस्थिति से पूरा होगा। लेकिन, अगर बैठक कोरम के अभाव में स्थगित हो जाये तब स्थगित की गयी बैठक में मौजूद सदस्य ही कोरम पूरा करेंगे और उन्हें उन सभी मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार होगा जिन्हें स्थगित की गयी बैठक में निबटाया नहीं जा सका।

5.3 प्राधिकरण के किसी भी कार्य अथवा प्रक्रिया को प्राधिकरण के संविधान में किसी खामी या किसी रिक्तता या किसी बैठक के कोरम चलते अवैध नहीं ठहराया जा सकता।

6. प्राधिकरण के उद्देश्य और क्रियाकलाप

6.1 प्राधिकरण के उद्देश्य तय किये जायेंगे और समाचार प्रसारण में उच्च मानदंडों, नैतिकता एवं तौर–तरीकों को अपनाया जायेगा। इन उददेश्यों में प्रसारकों के विरूद्ध या प्रसारकों के संबंध में उन शिकायतों पर विचार करना एवं उनके बारे में फैसला करना भी शामिल है जो किसी प्रसारक की सामग्री से संबंधित होंगी।

6.2 जैसा पहले कहा गया है, प्राधिकरण हमेशा निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए ही अपने कार्यों को निबटारा करेगा :

6.2.1 प्रसारण के मानकों को बनाए रखना और उनमें सुधार करना और प्रसारणकर्ताओं, टेलीविजन पत्रकारों और/अथवा संवाद समितियों की स्वतंत्रता बनाए रखना।

6.2.2 यह सुनिश्चित करना कि सभी प्रसारणकर्ता, टेलीविजन पत्रकार और संवाद समितियां आचार संहिता का पालन करें और उच्च व्यावसायिक मानकों का भी पालन करें

6.2.3 सार्वजनिक हित के उच्च मानकों का पालन सुनिश्चित करना और नागरिकों के अधिकारों और दायित्वों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना।

6.2.4 टेलीविजन पत्रकारिता के व्यवसाय और प्रसारण के कारोबार से जुड़े या उसमें संलग्न सभी व्यक्तियों के बीच जिम्मेदारी और जन सेवा की भावना को मजबूत करना और उसे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना।

6.2.5 जन हित और महत्व के समाचारों के संग्रह, आपूर्ति और वितरण पर प्रतिबंध लगाने की किसी भी हरकत अथवा गतिविधि की निगरानी करना और उसकी जांच करना।

6.2.6 ऐसे अन्य पहलू जो उपरोक्त स्थितियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनसे संबंधित हो सकते हैं और/अथवा जिनका उनसे कोई सरोकार हो सकता है।

6.3 प्राधिकरण एनबीडीए के सदस्य एवं अतिरिक्त सदस्य के संबंध में और उनके बारे में अथवा ऐसी कुछ अन्य शिकायतों के संबंध में अथवा प्रसारकों और चैनलों के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय अथवा अन्य मंत्रालय अथवा अन्य सरकारी निकाय की ओर से प्राधिकरण को भेजी गयी शिकायतों के संबंध में इन विनियमों के अनुरूप कार्य करेगा और प्रदत अधिकारों का इस्तेमाल करेगा।

7. प्राधिकरण के अधिकार

7.1 यदि प्राधिकरण के पास किसी तरह की शिकायत की जाती है अथवा प्राधिकरण के पास यह मानने के पर्याप्त कारण होते हैं कि किसी प्रसारणकर्ता ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है अथवा उसकी अवमानना की है तो प्राधिकरण संबंधित प्रसारणकर्ता को सुनवाई का उचित मौका देने के बाद नियमों के दायरे में रहते हुए मामले की जांच करवा सकता है और यदि वह इस बात से संतुष्ट होता है कि ऐसा करना आवश्यक है, तो प्राधिकरण उस प्रसारणकर्ता को लिखित चेतावनी दे सकता है, उसकी भर्त्सना कर सकता है, उस पर प्रतिबंध लगा सकता है, उसके खिलाफ असहमति व्यक्त कर सकता है और/अथवा प्रसारणकर्ता पर जुर्माना भी लगा सकता है और/अथवा संबंधित अधिकारियों से उस प्रसारणकर्ता का लाइसेंस निलंबित/रद्द करने की सिफारिश भी कर सकता है।

इसमें शर्त यह है कि प्राधिकरण 1,00,000 (एक लाख) रुपये से अधिक राशि का जुर्माना नहीं कर सकता है। जुर्माने की इस राशि को संबंधित प्रसारणकर्ता से वसूला जाएगा।

इसमें यह भी शर्त है कि प्राधिकरण ऐसी किसी भी शिकायत पर संज्ञान नहीं ले सकता है, जिसके बारे में अध्यक्ष (चेयरपर्सन) ऐसा सोचते हों कि जांच के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं।

7.2 यदि प्राधिकरण ऐसा मानता है कि जनहित में ऐसा किया जाना जरूरी है, तो वह किसी भी प्रसारणकर्ता के खिलाफ हो रही जांच से संबंधित जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ऐसे समाचार पत्र अथवा अन्य प्रकाशनों और/अथवा वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए किसी भी प्रसारणकर्ता को निर्देश दे सकता है। इस कार्यवाही में प्राधिकरण के निर्णय के मुताबिक चेतावनी, भर्त्सना, प्रतिबंध, नामंजूरी और/अथवा जुर्माना भी शामिल हो सकता है। प्रसारणकर्ता को इन निर्देशों का पालन करना होगा।

इसमें यह शर्त भी शामिल है कि प्राधिकरण किसी भी प्रकार की जांच की संक्षिप्त रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर और अपनी सालाना रिपोर्ट में और समय–समय पर प्रकाशित होने वाले न्यूजलेटर में प्रकाशित करेगा।

इसमें यह शर्त भी शामिल है कि इन विनियमों में कोई भी प्राधिकरण को ऐसे किसी मामले में कार्यवाही करने या उसके संबंध में जांच करने का अधिकार नहीं दे सकता है, जिसके संबंध में किसी विधिक न्यायालय अथवा अन्य न्यायाधिकरण अथवा संवैधानिक प्राधिकरण में कार्यवाही लंबित है।

7.3 किसी भी शिकायत का निपटारा करने अथवा इन नियमों के तहत किसी प्रकार की जांच कराने के लिए प्राधिकरण के पास निम्न अधिकार होंगे :

7.3.1 किसी भी व्यक्ति को बुलाना और उससे पूछताछ करना और दस्तावेज पेश करने की मांग करना तथा उनका निरीक्षण करना।

7.3.2 प्रमाण मांगना

7.3.3 किसी भी प्रसारणकर्ता से किसी भी प्रकार के दस्तावेज अथवा उनकी प्रति मांगना, जिसमें किसी विशेष प्रसारण की गैर संपादित और संपादित फुटेज शामिल है।

इसमें यह भी शर्त शामिल है कि कोई भी नियम – कानून प्राधिकरण को वह अधिकार नहीं दे सकता जिसके जरिये प्राधिकरण किसी भी प्रसारणकर्ता से प्रसारित हुए अथवा होने वाले किसी समाचार अथवा सूचना के स्रोत का खुलासा करने के लिए बाध्य करे।

7.4 इन नियमों के तहत अच्छे इरादे से किये जाने वाले किसी भी काम के लिए प्राधिकरण के निर्देशों के तहत कोई भी काम किए जाने पर पर प्राधिकरण, उसके चेयरपर्सन या किसी अन्य सदस्य के खिलाफ न तो कोई याचिका दायर की जा सकती है और न ही किसी अन्य प्रकार की कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

7.5 प्राधिकरण के आदेशों/नियमों का पालन करने के लिए किसी सामग्री का प्रसारण किए जाने पर किसी भी प्रसारणकर्ता के खिलाफ किसी प्रकार की याचिका दायर नहीं की जा सकती और न ही किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

8. शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया

इन विनियमों में शिकायतों के निवारण की ''द्विस्तरीय'' प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है जिसके तहत किसी प्रसारक की किसी सामग्री से पीड़ित किसी व्यक्ति को पहले संबंधित प्रसारक के पास शिकायत करनी होगी , जैसा कि बाद में कहा गया है और अगर उसकी शिकायत का समाधान नहीं होता अथवा शिकायतकर्ता संबंधित प्रसारक की ओर से उपलब्ध कराये गये समाधान से संतुष्ट नहीं है तब शिकायत करता प्राधिकरण के सक्षम शिकायत कर सकता है।

शिकायत की सामग्री

8.1 किसी प्रसारक के खिलाफ या उसके संबंध में जिस तरह का मामला है उसी तरह की शिकायत संबंधित प्रसारक अथवा प्राधिकरण को की जा सकती है:

8.1.1 शिकायत लिखित रूप में, पूरा नाम, पूरा पता, मोबाइल/लैंड लाइन नंबर और ई–मेल आईडी देकर, डाक, कूरियर अथवा इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिये, जो भी सुविधाजनक हो भेजी जानी चाहिये।

8.1.2 उस प्रसारणकर्ता के नाम और पते का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, जिसके खिलाफ शिकायत की जा रही है।

8.1.3 जिस प्रसारण के संबंध में शिकायत की जा रही है, उसके प्रसारण के समय का उल्लेख होना चाहिए और प्रसारण की सामग्री का सार और/अथवा उसका लिखित सार (यदि इस प्रकार का लिखित सार उपलब्ध हो सकता है) और उसमें किए गए गलत कार्य के बारे में स्पष्ट तौर पर बताया जाना चाहिए।

8.1.4 शिकायत के विषय और उसकी सामग्री के संदर्भ में महत्वपूर्ण अन्य सभी प्रकार की जानकारी भी शामिल होनी चाहिए।

8.1.5 इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि प्रसारण में किस प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन किया गया और/अथवा प्रसारित की गई सामग्री किस प्रकार से आपत्तिजनक थी।

8.1.6 (प्राधिकरण को भेजी गयी शिकायत के मामले में) शिकायतकर्ता के उस पत्र/इलेक्ट्रॉनिक मेल की प्रति भी संलग्न करना चाहिए, जो उसने प्रसारणकर्ता को भेजा है और उसमें प्रसारणकर्ता का ध्यान उस विषय की ओर आकर्षित किया गया हो, जिससे शिकायतकर्ता को पीड़ा पहुंची है और साथ ही उसके संबंध में संबंधित पक्ष की ओर से शिकायतकर्ता के पास आए उत्तर (यदि कोई उत्तर दिया जाता है), जिसमें कारण का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो, की प्रति भी संलग्न की जानी चाहिए।

इसमें यह भी शर्त जुड़ी है कि पीड़ित व्यक्ति को समुचित अवधि के अंदर, जो कि पहले प्रसारण के 7 (सात) दिन से अधिक नहीं हो, प्रसारणकर्ता के समक्ष शिकायत करनी पड़ेगी।

इसमें यह भी शर्त जुड़ी है कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रसारणकर्ता को उसका पत्र मिलने के कम से कम 7 (सात) दिन के भीतर शिकायत का जबाव देने का समय दिया जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता, तो प्राधिकरण इस प्रकार की शिकायत को स्वीकार नहीं करेगा।

इसमें यह भी शर्त जुड़ी है कि इन नियमों के अंतर्गत किसी प्रसारणकर्ता के समक्ष की जाने वाली शिकायत संबंधित प्रसारणकर्ता के नामित अनुपालन अधिकारी के पास भेजी जानी चाहिये और नामित अनुपालन अधिकारी को इस शिकायत का निबटारा करना चाहिये। नामित अनुपालन अधिकारी के विशिष्ट पद, पते और पत्राचार से संबंधित अन्य विवरण एनबीडीए और संबंधित प्रसारणकर्ता की वेबसा इटों पर उपलब्ध होंगे।

8.1.7 शिकायत केवल अंग्रेजी अथवा हिंदी भाषाओं में ही वेबसाइट पर उपलब्ध फार्म में ही की जानी चाहिए। इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिये भी भरा जा सकता है या लिखित रूप में भी। अगर कोई समर्थक दस्तावेज हो तो उसे भी भेजा जाना चाहिये। अगर समर्थक दस्तावेज क्षेत्रीय भाषा में हो तब उसी रूप में उनका हिंदी और अंग्रेजी भाषा में संपूर्ण रूप में अनुवाद भी शिकायत के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। शिकायत की हार्ड कापी एवं समर्थक दस्तावेजों को उस तरीके से भेजा जाना चाहिये जिनके भेजे जाने का रेकार्ड रखा जाता है।

इसमें यह भी शर्त जुड़ी है कि प्राधिकरण ऐसी किसी भी शिकायत को तब तक स्वीकार नहीं करेगा, जबतक प्राधिकरण के पास शिकायत लाए जाने से पहले शिकायतकर्ता ने उपरोक्त तरीके से प्रसारणकर्ता को लिखित तौर पर शिकायत नहीं की हो और प्रसारणकर्ता ने उसका जबाव नहीं दिया हो और शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हो अथवा उसे लगता है कि प्रसारणकर्ता के जबाव से उसकी शिकायत दूर नहीं हुई है।

8.2 प्रसारणकर्ता से जबाव मिलने के 14 (चौदह) दिन के भीतर अथवा प्रसारणकर्ता द्वारा 14 (चौदह) दिन के भीतर जबाव नहीं मिलने की स्थिति में प्राधिकरण के पास संबद्ध शिकायत भेज दी जानी चाहिए।

इसमें यह शर्त है कि संबंद्ध शिकायत उपरोक्त अवधि के बीत जाने के बाद प्राधिकरण के पास लायी जाती है, तो प्राधिकरण यह देख सकता है कि शिकायतकर्ता ने सही तरीके से कार्य किया और तय अवधि के भीतर शिकायत दर्ज नहीं करा पाने की वजह तर्कसंगत है और तार्किक कारणों की वजह से शिकायतकर्ता ने शिकायत तैयार करने/और अथवा दर्ज कराने में अधिक समय लिया है तों प्राधिकरण संतुष्ट होने पर वह विलंब के बावजूद शिकायत को स्वीकार कर लेगा।

इसमें यह शर्त है कि इन नियमों में उल्लिखित बातों से अलग यदि कुछ होता है, तो प्राधिकरण किसी भी प्रसारणकर्ता को सामग्री का पहली बार प्रसारण किए जाने के 90 (नब्बे) दिन के भीतर लिखित सूचना देगा

और उसे वह सामग्री सुरक्षित रखने के लिए कहेगा, जिसका उल्लेख शिकायत में किया गया है। ऐसा नहीं किए जाने पर प्रसारणकर्ता उस सामग्री का रिकॉर्ड रखने के लिए किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं है।

8.3 सभी मामलों में शिकायतकर्ता को सभी संबंधित बातें और सामग्री और प्रसारण वाले दस्तावेज भी प्राधिकरण के सामने पेश करने होंगे।

8.4 शिकायती पत्र में सबसे नीचे शिकायतकर्ता को इस प्रकार की घोषणा करनी होगी, जिस में लिखा होगा कि:

8.4.1 शिकायत में दिए गए सभी तथ्य शिकायतकर्ता की जानकारी और विश्वास के अनुसार पूरी तरह सही और सत्य हैं।

8.4.2 शिकायतकर्ता ने सभी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण तथ्य प्राधिकरण के सामने पेश कर दिए हैं और किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं है।

8.4.3 प्राधिकरण के सामने जिस मामले की शिकायत की गई है, उससे संबंधित किसी भी प्रकार की कार्यवाही किसी भी विधिक न्यायालय अथवा अन्य न्यायाधिकरण अथवा संवैधानिक प्राधिकरण में नहीं चल रही है।

8.4.4 प्राधिकरण के सामने इस मामले में चल रही कार्यवाही के बीच यदि किसी भी समय यह मामला विधिक न्यायालय अथवा अन्य न्यायाधिकरण अथवा संवैधानिक प्राधिकरण में पहुंच जाता है, तो शिकायतकर्ता प्राधिकरण को फौरन इस बारे में सूचित कर देगा।

8.5 यदि शिकायत में उपरोक्त सभी बातों और जरूरतों का ध्यान नहीं रखा जाता है अथवा उसमें सभी उल्लिखित सामग्री नहीं दी गई है, तो चेयरपर्सन इस शिकायत को वापस कर सकते हैं। इसके साथ ही वह शिकायतकर्ता से बचे हुए सभी तथ्य और आवश्यक सामग्री के साथ शिकायत को उस अवधि के भीतर दोबारा पेश करने के लिए कह सकते हैं, जो अवधि प्राधिकरण तय करता है।

8.6 यदि किसी शिकायत में तय समय के भीतर उन सभी जरूरतों या सामग्री को पूरा नहीं किया जाता है, जो समय प्राधिकरण ने दिया है, तो चेयरपर्सन इस मामले में चल रही कार्यवाही को किसी भी समय खत्म कर सकते हैं और अपनी अगली बैठक में प्राधिकरण को इस निर्णय के बारे में सूचित कर सकते हैं।

8.7 सभी प्रकार से पूरी शिकायत प्राप्त होने के 14 (चौदह) दिन के भीतर ही चेयरपर्सन के निर्देशों के तहत उसकी प्रति उस प्रसारणकर्ता के पास भेज दी जाएगी, जिसके खिलाफ शिकायत की गई है। इसके साथ प्रसारणकर्ता को नोटिस भी जारी किया जाएगा, जिसमें उससे पूछा जाएगा कि उसके खिलाफ उपरोक्त नियमों के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए। साथ ही नोटिस जारी किए जाने के बाद टेलीविजन चैनल को जवाब देने के लिए 14 (चौदह) दिन का समय भी दिया जाएगा।

इसमें यह भी शर्त है कि उपयुक्त मामलों में चेयरपर्सन के पास नोटिस जारी करने अथवा उसका जवाब दिए जाने की अवधि बढ़ाने का पूरा अधिकार है।

इसके अलावा यह भी शर्त है कि चेयरपर्सन को यदि ऐसा लगता है कि शिकायत में दिए गए तथ्य जांच के लिए उपयुक्त अथवा समुचित आधार नहीं बनाते हैं, तो वह किसी प्रसारणकर्ता के खिलाफ कारण बताओ नोटिस नहीं जारी करने का भी फैसला कर सकते हैं। ऐसी हालत में प्राधिकरण की अगली बैठक में चेयरपर्सन नोटिस जारी नहीं करने के अपने फैसले के पीछे रहे कारणों से सदस्यों को अवगत कराएंगे और यदि ऐसे में प्राधिकरण को कारण उपयुक्त लगते हैं, तो वह इस संबंध में आदेश जारी कर सकता है।

8.8 इस प्रकार शिकायत की संपूर्ण प्रति और शिकायतकर्ता की ओर से पेश किए गए सभी दस्तावेजों की प्रति के साथ जारी किया गया नोटिस प्रसारणकर्ता को शिकायत में दिए गए पते अथवा पतों पर इस प्रकार से प्रेषित किया जाएगा, जिसका रेकार्ड दर्ज किया जाता है।

8.9 सुनवाई के समय, तारीख और स्थान के बारे में समुचित सूचना शिकायतकर्ता और प्रसारणकर्ता को दी जाएगी और इस संबंध में पत्र अथवा नोटिस उन्हें किसी भी प्रकार से बताए गए पतों पर भेज दिया जाएगा।

8.10 जिस प्रसारणकर्ता के खिलाफ शिकायत की गई है, उसे शिकायत की संपूर्ण प्रति और शिकायतकर्ता द्वारा भेजे गए सभी प्रकार के दस्तावेजों की प्रति के साथ नोटिस जारी किए जाने के 14 (चौदह) दिन की अवधि के भीतर अथवा इस संबंध में किसी प्रकार का प्रार्थनापत्र दिए जाने पर चेयरपर्सन द्वारा दी गई अवधि के

भीतर ही शिकायत का जवाब प्राधिकरण के पास लिखित बयान के रूप में देना होगा और इस लिखित बयान की एक प्रति किसी भी प्रकार से शिकायतकर्ता के पास भी अनिवार्य तौर पर पहुंचानी होगी।

जब भी कोई ब्रॉडकास्टर एनबीडीएसए को (या एनबीएसए द्वारा माँगे जाने पर) कोई ऐसा दस्तावेज़ या कोई ऐसी ट्रांस्क्रिपट प्रस्तुत करता है, जो अंग्रेज़ी या हिन्दी के अलावा अन्य किसी भाषा में हो तो ब्रॉडकास्टर को उसके साथ उसका अंग्रेज़ी अनुवाद भी प्रस्तुत करना होगा।

8.11 शिकायत अथवा शिकायत के उत्तर में लिखित बयान प्राप्त करने के बाद चेयरपर्सन को यदि आवश्यक लगता है, तो वह शिकायतकर्ता अथवा शिकायत का जवाब देने वाले प्रसारणकर्ता से और अधिक जानकारी मांग सकते हैं, ताकि शिकायत में दिए जा रहे अथवा लिखित जवाब के कारण उठे मामलों को पूरी तरह स्पष्ट किया जा सके और ऐसा करते समय चेयरपर्सन को यदि आवश्यक लगता है, तो वह किसी भी पक्ष से अतिरिक्त बयान और/अथवा दस्तावेजों की भी मांग कर सकते हैं। ऐसी सूरत में पेश किए गए सभी प्रकार के बयान और दस्तावेज रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगे और जांच के समय उन्हें प्राधिकरण के सामने पेश किया जाएगा।

8.12 शिकायत और लिखित बयानों का पूरा जायजा लेने के बाद यदि प्राधिकरण को आवश्यक लगता है, तो वह अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी एक पक्ष अथवा दोनों पक्षों से वह अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है, जो शिकायत के विषय या उसकी सामग्री के संदर्भ में प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो।

8.13 किसी भी शिकायत की जांच करने के दौरान किसी भी समय यदि प्राधिकरण को ऐसा महसूस होता है कि शिकायत में उठाया गया विषय काफी हद तक वही है, जो प्राधिकरण के सामने पहले भेजी गयी शिकायत में दिया गया था और इन नियमों के तहत उस शिकायत की सुनवाई की गई थी, तो प्राधिकरण शिकायतकर्ता की इच्छा होने पर उसका पक्ष सुनेगा और यदि खुद प्राधिकरण को जरूरी लगता है, तो वह प्रसारणकर्ता का पक्ष भी सुनेगा और उसके बाद आवश्यक महसूस होने पर आदेश अथवा निर्देश जारी करेगा और उन सभी आदेशों और निर्देशों के बारे में संबंधित पक्षों को समुचित तरीके से सूचित कर दिया जाएगा।

8.14 प्राधिकरण द्वारा की जा रही जांच के दौरान यदि शिकायतकर्ता बिना किसी संतोषजनक और पर्याप्त कारण के सुनवाई के समय अनुपस्थित रहता है, तो प्राधिकरण शिकायत को तुरंत खारिज कर सकता है और यदि सुनवाई के दौरान बिना किसी संतोषजनक और पर्याप्त कारण के प्रसारणकर्ता अनुपस्थित रहता है, तो प्राधिकरण को जो भी उचित लगता है, उसके अनुसार वह उपस्थित नहीं होने वाले पक्ष के प्रतिकूल उस शिकायत का फैसला एकतरफा के रूप में कर सकता है।

हालांकि इसमें यह भी शर्त है कि किसी भी शिकायत को खारिज किया जाता है अथवा उसके संबंध में एकतरफा आदेश/निर्देश जारी किए जाते हैं, तो उन्हें जारी किए जाने के 30 तीस दिन के भीतर उससे प्रभावित होने वाला पक्ष प्राधिकरण के पास प्रार्थनापत्र दाखिल करता है, जिसमें शिकायत की फिर सुनवाई करने अथवा उसके बारे में जारी किए गए एकतरफा आदेशों/निर्देशों को खारिज किए जाने की विनती की जाती है और वह पक्ष सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने का कारण भी बताता है, तो प्राधिकरण शिकायत को दोबारा स्वीकार कर सकता है अथवा एकतरफा आदेशों/निर्देशों को खारिज कर सकता है और उस मामले को जहां से छोड़ा गया वहां से आगे की कार्यवाही कर सकता है।

8.15 प्राधिकरण के सामने जांच के दौरान सभी संबंधित पक्षों को महत्वपूर्ण और प्रासंगिक प्रमाण मौखिक अथवा लिखित रूप से पेश करने और अपनी शिकायत अथवा तर्क के समर्थन में अन्य दस्तावेज देने का पूरा अधिकार है।

8.16 किसी भी जांच के समाप्त होने पर प्राधिकरण शिकायत में दिए गए सभी आरोपों के बारे में अपनी खोजबीन और निर्णय तथा उसके पीछे मौजूद सभी कारणों को दस्तावेज के रूप में दर्ज करेगा और यदि इन निर्देशों के तहत उसे ठीक लगता है, तो इस संबंध में आदेश और निर्देश भी जारी करेगा।

8.17 किसी भी मामले का फैसला सदस्यों के बीच बहुमत से ही किया जाएगा और चेयरपर्सन के दृष्टिकोण को भी उतनी ही महत्ता दी जाएगी, जितनी किसी भी सदस्य के दृष्टिकोण को दी जाती है।

इसमें यह शर्त भी जुड़ी है कि कोई भी सदस्य ऐसी किसी भी शिकायत पर होने वाली कार्यवाही और/अथवा निर्णय में हिस्सा नहीं ले सकता है, जिसमें उस सदस्य की किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष संलग्नता अथवा

व्यावसायिक हित हो अथवा जिसमें वह सदस्य किसी प्रसारणकर्ता के एजेंट अथवा प्रतिनिधि के रूप में कुछ दिलचस्पी रखता हो और ऐसी हालत में उस सदस्य को पूरी कार्यवाही से दूर ही रहना होगा।

इसमें यह भी शर्त जुड़ी है कि अगर कोई सदस्य अथवा एक से अधिक सदस्य उपरोक्त कारणों से कार्यवाही से बाहर होते हैं, तो एन बी ए उस रिक्तता अथवा रिक्तताओं को भरने के लिये चेयरपर्सन को चार नाम सुझायेगा और चेयरपर्सन उस खास जांच को पूरा करने के लिये इन चार नामों में से एक या अधिक नामों को पूरक सदस्य/सदस्यों के रूप में मनोनीत करेगा।

8.18 प्राधिकरण के आदेशों/निर्देशों के बारे में किसी भी मामले से जुड़े सभी पक्षों को लिखित रूप से सूचित करना होगा और प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार एनबीडीए की वेबसाइट, सालाना रिपोर्ट और एनबीडीए न्यूजलेटर समेत विभिन्न तरीकों से इसकी सार्वजनिक जानकारी भी दी जाएगी।

8.19 इन नियमों के तहत होने वाली किसी भी जांच में कार्यवाही से संबंधित कोई भी पक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश हो सकता है अथवा उसका वकील उसके प्रतिनिधि के रूप में आ सकता है अथवा पूर्णतया अधिकृत प्रतिनिधि आ सकता है।

8.20 प्राधिकरण के पास किसी भी ऐसे मामले के संबंध में अपनी कार्यवाही को नियमित करने का अधिकार होगा, जिसके लिए इन नियमों में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है अथवा समुचित प्रावधान नहीं किया गया है और प्राधिकरण के पास किसी विशेष मामले में *बंद कमरे के भीतर* भी जांच कराने का पूरा अधिकार होगा।

8.21 इन नियमों में शामिल किये गये प्रावधानों के बावजूद इन नियमों के तहत शुरू की गयी कोई भी जांच शिकायत प्राप्त होने की तारीख से, जहां तक संभव हो सके, 3 (तीन) महीने की अवधि के भीतर पूरी करनी होगी।

8.22 प्राधिकरण किसी भी ऐसे मामले में *स्वतः संज्ञान* लेकर कार्यवाही शुरू कर सकता है और नोटिस जारी कर सकता है और कार्रवाई कर सकता है, जिस मामले में ऐसा कोई कदाचार किया जाता है, जो उसके नियमों के दायरे में आता है अथवा आचार संहिता से संबंधित किसी नियम या प्रावधान के दायरे में आता है और इस प्रकार के मामले में सभी प्रकार की कार्यवाही को इस प्रकार से किया जाना चाहिए, जिस प्रकार से किसी शिकायत में किया जाता है।

8.23 प्राधिकरण सभी शिकायतों के संबंध में दिये गये निर्णयों को शिकायतकर्ता के नाम के साथ सार्वजनिक कर सकता है। हालांकि अगर शिकायतकर्ता के पास शिकायत दर्ज कराने के संबंध में किसी मुद्दे पर किसी तरह की गोपनीयता रखने का कोई समुचित कारण है तो प्राधिकरण को शिकायतकर्ता के गोपनीयता/नाम गुप्त रखने के अनुरोध पर विचार करने का पूरा विवेकाधिकार होगा।

मूल संस्करण : 1.4.2008
संशोधन किये गये : 16.6.2008, 8.8.2008, 30.9.2008, 16.1.2009, 20.7.2010, 20.7.2011, 29.1.2014, 22.7.2015, 2.8.2017, 14.12.2017, 26.7.2019, 17.6.2022, 16.9.2022